

19

19.5.22


पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित।  
वकील प्रार्थी द्वारा डॉ. रामे कृष्ण निवेदन  
किया गया कि विवादित भूमि तहसील  
दंडसावा में नक 4200M के प. नं.  
209/60 मु. नं. 53 के विवरण. 1 का 23  
की 5.819 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी द्वारा  
आदि वैयनामा खरीद मुद्दा है। वैयनामा  
में एवं तदुपरान्त नामान्तरण में प्रार्थी की  
सही जाति आवरी दर्ज की गई लेकिन  
वर्तमान जमावली में प्रार्थी की जाति  
सद्वन से मजहबी दर्ज हो गई है।  
इसलिए वर्तमान जमावली में प्रार्थी की  
जाति वैयनामा एवं नामान्तरण के अनुसार  
की

## फर्द अहकाम

क्र.सं.	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>दुखस्त करते हुए आवरी दर्ज की जावे              तल्लीबदर द.स.सामा से प्राप्त              रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया              गया कि वेधनामा के अज्ञात पर              जामांतरण दर्ज रहे पर जमाबंदी              में उक्त रकबा दर्शन सिंह पुत्र              गुरचरण सिंह जाति आवरी सामिल              उ.स.र तल्लीबदर द.स.सामा के नाम दर्ज              हुआ। सेमीगेशन के बाद जमाबंदी में              सार्थी की जाति सहकन से सजदवी              दर्ज हो गई जिसे दुखस्त विद ज्ञाने              की अनुशंसा भी तल्लीबदर द्वारा अपनी              रिपोर्ट में की गई है। ऐसी स्थिति में सार्थी              का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना              उचित समित होता है।</p> <p>अतः सार्थी का प्रार्थना पत्र              स्वीकार करते हुए विवाहित भूमि तल्लीबदर              द.स.सामा के चक 42.00 के प.नं.              209/60 ई विवा नं. 1 ता 23 की              5.819 हेक्टेयर भूमि के राजस्व              रिपोर्ट में, जो वर्तमान में दर्शन सिंह</p>	

पुनः गुरुचरण सिंह ज्योति बजावली स्थानित डडर तहसील घडसाना के नाम दर्ज है, जो दुष्कृत जय दुष्कृत शर्मा की ज्योति बजावली के स्थान पर जारी हुई करने का आदेश दिया जाता है एवं तहसीलदार (राजश्व) घडसाना को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजश्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। पत्रावली का तस्वीर तहसील डोकट दफ्तर दफ्तल हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.05.2022 को मेरे द्वारा जूरी व्यापारिक में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

  
 (अधिकारी)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 घडसाना